आयोजनागत राज्य सेक्टर

संख्या-54/2015-2613/चौदह-4-2015-500(34)/2015

प्रेषक,

मो0 जुनीद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

वन अनुभाग-4 लखनऊ, दिनांक, 21 दिसम्बर, 2015

विषय- वित्तीय वर्ष 2015-16 में जनपद इटावा में बब्बर शेर प्रजनन केन्द्र व लॉयन सफारी पार्क का विकास योजनान्तर्गत पार्क में स्थित 400 केवी एस/सी कानपुर-आगरा ट्रान्समिशन लाईन के स्थान परिवर्तन हेतु धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर अपर प्रमुख वन संरक्षक, सामाजिक एवं कृषि वानिकी उ0प्र0 के पत्र संख्या-पी-705/36-टी-77, दिनांक 07 दिसम्बर, 2015 के द्वारा इटावा लॉयन सफारी पार्क, इटावा के अन्तर्गत स्थित 400 केवी एस/सी कानपुर-आगरा ट्रान्समिशन लाईन को इटावा सफारी पार्क के बाहर स्थापित करने हेतु टावर लोकेशन संख्या-0359 तथा 0360 के स्थान परिवर्तन के सम्बन्ध में ट्रान्समिशन लाईन के रि-एलाइनमेंट परियोजना हेतु पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि0 आगरा द्वारा अपेक्षित धनराशि रू0 565.56 लाख के सापेक्ष रू0 264.38 लाख की स्वीकृति विषयगत योजना के अन्तर्गत पूंजीलेखा के मानकमद-24 वृहत निर्माण कार्य में सीधे तथा अवशेष रू0 301.18 लाख (565.56-264.38) की स्वीकृति योजना-"एलीफैन्ट ट्रांजिट कैम्प/रेस्क्यू सेन्टर" के पूंजीलेखा के मानकमद-24-वृहत निर्माण कार्य में से पुनर्विनियोग के माध्यम से जारी कराने का प्रस्ताव उपलबध कराया गया है।

2- अतः उपर्युक्त उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/ 2015/ बी-1-925/दस-2015-231/2015 दिनांक 30 मार्च, 2015 में निहित निर्देशों एवं प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय वर्ष 2015-16 के अनुदान संख्या-60 आयोजनागत पक्ष के अन्तर्गत जनपद इटावा में बब्बर शेर प्रजनन केन्द्र व लॉयन सफारी पार्क का विकास योजनान्तर्गत उपलब्ध आय-व्ययक प्राविधान में से रू0 264.38 लाख तथा एलीफैन्ट ट्रांजिट कैम्प रेस्क्यू / सेंटर योजना (4406-02-110-04) के पूंजीलेखा के मानकमद-24-वृहत निर्माण कार्य में से हो रही बचत रू0 301.18 लाख पुनर्विनियोजन आदेश संख्या-2613ए/चौदह-4-2015-500(34)/2015 दिनांक 21 दिसम्बर, 2015 (प्रति संलग्न) द्वारा पुनर्विनियोजित धनराशि रू0 301.18 लाख कुल धनराशि रू0 264.38 लाख +301.18लाख= 565.56 लाख (रूपये पांच करोड़ पैसठ लाख छप्पन हजार मात्र) निम्नलिखित लेखाशीर्षकों के सम्मुख अंकित धनराशि व्यय हेतु निम्न शर्तो के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

धनराशि (रू0 लाख में)

लेखाशीर्षक	सीधे स्वीकृत धनराशि	पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत धनराशि	स्वीकृत कुल धनराशि

http://shasanadesh.up.nic.in

अनुदान संख्या-60			
पूँजी लेखा-			
4406-वानिकी तथा वन्य जीव पर पूँजीगत परिव्यय-			
-02 पर्यावरण वानिकी तथा वन्य जीव-			
-110 वन्य जीव-			
-06 जनपद इटावा में बब्बर शेर प्रजनन केन्द्र व लायन सफारी पार्क का विकास-			
24-वृहत निर्माण कार्य	264.38	301.18	565.56
योग:-	264.38	301.18	565.56

(रू0 पांच करोड़ पैसठ लाख छप्पन हजार मात्र)

1. उक्त धनराशियों का आवंटन स्वयं में व्यय का अधिकार नहीं देता, अतः जिस व्यय के संबंध में वित्तीय हस्तपुस्तिका के अन्तर्गत नियमावलियों में अथवा शासन के वर्तमान आदेशों के अनुसार शासन के अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति/सहमति लिया जाना अपेक्षित हो, उसे व्यय करने से पूर्व अनिवार्यतः प्राप्त किया जाय।
2. वस्तुओं का क्रय स्टोर परचेज एवं वित्तीय नियमों के अधीन किया जाय। योजनान्तर्गत वाहनों के क्रय के पूर्व शासन का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। व्यय करते समय मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा जारी शासनादेश सं0-सी0ए01132/दस-2004-मित-1/2004 दिनांक 07.01.2005 तथा शासनादेश सं0-सी0ए01191/ दस-2009-मित-1/2007 दिनांक 26.10.2009 एवं इस संबंध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
3. अनुदान/भारित विनियोग के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग विभाग की कार्य के प्रकृति एवं अवसर के अनुसार विचार करते हुए जहाँ तक संभव हो, व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिये प्रतिमाह समान रूप से की जाय और स्वीकृतियों/आवंटन के सापेक्ष उससे अधिक धनराशि का आहरण कोषागार से नहीं किया जाये। विभागाध्यक्ष एवं अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय। यदि आहरण एवं वितरण अधिकारी जनपद स्तर पर हैं, तो जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को संबंधित जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित की जाय तथा ऐसे मामले में विभागाध्यक्ष स्तर पर एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय।
4. योजनानतर्गत सम्मिलित कार्यों की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष/कार्यदायी संस्था का होगा तथा योजनान्तर्गत प्रस्तावित भौतिक लक्ष्यों को कम नहीं किया जायेगा एवं वित्तीय लक्ष्य बढ़ाये नहीं जायेंगे।
5. योजना में व्यय अनुमोदित परिव्यय से अधिक न हो। इस संबंध में शासन के तत्संबंधी निर्देशों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का प्रत्येक स्तर पर अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
6. व्यय को निर्धारित मानकों के अनुसार सुनिश्चित किये जाने हेतु एक समय-सारिणी निश्चित कर दी जाय तथा प्रत्येक माह की समाप्ति पर व्यय की प्रगति का प्रभावी अनुश्रवण किया जाय।
7. अवमुक्त धनराशि को समय से योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु साख-सीमा अवमुक्त किये जाने की समयबद्ध एवं प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाय ताकि धनराशि समय पर उपलब्ध रहे।

http://shasanadesh.up.nic.in

8. इसके अतिरिक्त योजना के क्रियान्वयन के समय शासन द्वारा निर्गत सभी सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
9. समस्त विधिक पहलुओं पर आश्वस्त होते हुए समस्त वैधानिक स्वीकृतियां सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त करने तथा अन्य संबंधित विभागों से यथा-आवश्यक अनुमति/सहमति नियमानुसार प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रायोजना पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
10. मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/विभागाध्यक्ष का होगा। प्रमुख वन संरक्षक यह सुनिश्चित करेंगें कि उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/दिवरावृत्ति न हो।
11. व्यय को निर्धारित मानकों के अनुसार सुनिश्चित किये जाने हेतु एक समय-सारणी निश्चित कर दी जाय तथा प्रत्येक माह की समाप्ति पर व्यय की प्रगति का प्रभावी अनुश्रवण किया जाय।
12. प्रमुख वन संरक्षक/मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उ0प्र0 समय-समय पर स्थलीय निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करेंगे कि स्थलीय कार्य अनुमोदित आंगणन एवं निर्धारित मानकों के अनुसार हो रहे हैं तथा इसकी रिपोर्ट शासन को समय-समय पर उपलब्ध करायी जायेगी।
13. स्वीकृत धनराशि का व्यय शासन के पत्र संख्या-2413/14-4-2015, दिनांक 20.11.2015 एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक, सामाजिक एवं कृषि वानिकी के उक्त पत्र दिनांक 07.12.2015 में उल्लिखित कार्यमदों के अन्तर्गत ही किया जायेगा।
14. विषयगत प्रकरण के सम्बन्ध में शासन के पत्र संख्या-पी-67/14-2-2015-800(113)/2015, दिनांक 30.10.2015 में उल्लिखित भारत सरकार की स्वीकृति के उपरान्त उपरोक्त धनराशि व्यय की जाय।
15. यह आदेश पुनर्विनियोग के प्रस्ताव पर वित्त विभाग की सहमति से एवं चालू योजना का सीधी स्वीकृति का प्रस्ताव वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015 दिनांक, 30 मार्च, 2015 में प्रशासनिक विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किया जा रहा है।

संलग्नक-बी0एम0-9(भाग-1)

भवदीय,

(मो0 जुनीद)
संयुक्त सचिव।

संख्या-2613(1)/चौदह-4-2015-500(34)/2015 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/,द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार द्वितीय उ0प्र0 केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।
3- प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4- अपर प्रमुख वन संरक्षक, सामाजिक एवं कृषि वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, उ0प्र0, लखनऊ।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
8- वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग।
9- नियोजन अनुभाग-3/ वन अनुभाग-2/ अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(मो0 जुनीद)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in